

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
सं० /2016/181(120)XXVII(8)/2008  
देहरादून :: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2016  
अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016 है।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

नियम 2 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005, के नियम 2 के वर्तमान उपनियम (9) के पश्चात उपनियम (9-क) निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्-

(9-क) "तिमाही" से अभिप्रेत है :-

(क) प्रथम तिमाही- 01 अप्रैल से 30 जून तक;

(ख) द्वितीय तिमाही- 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक;

(ग) तृतीय तिमाही- 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक;

(घ) चतुर्थ तिमाही- 01 जनवरी से 31 मार्च तक।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

सं० 835/2016/181(120)/XXVII(8)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5- एन0आई0सी0

6- गार्ड फाईल हेतु।

6692

18/10/2016

आज्ञा से  
(हीरा सिंह बसंडा)  
अनुसचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 835/2016/ 181(120)/ XXVII(8)/2008 dated 04 October, 2016 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 835/2016/181(120)/ XXVII(8)/2008**  
**Dehradun :: Dated:: 04 October, 2016**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by section 71 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend in the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005.

**The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2016**

**Short title and Commencement** 1. (1) This rule may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2016.

(2) This shall come into force at once.

**Amendment in Rule 2** 2. After the existing sub-rule (9) of Rule 2 of the Uttarakhand Value Added Tax Rule, 2005, the following sub-rule(9-A) shall be added; namely-

**(9-A) "Quarter"** means

- (a) First Quarter- 1<sup>st</sup> April to 30<sup>th</sup> June;
- (b) Second Quarter- 1<sup>st</sup> July to 30<sup>th</sup> September;
- (c) Third Quarter- 1<sup>st</sup> October to 31<sup>st</sup> December;
- (d) Fourth Quarter- 1<sup>st</sup> January to 31<sup>st</sup> March.

  
(Amit Singh Negi)  
Secretary